न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 108/2025 बउनवानी हेमा मीना बनाम अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
निवासी महूँकलां तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2025/ 229 Appeal Number- 321751780253530

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
3.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नगर परिषद, पंचायत समिति, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, से संबंधित कुल 6 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना*" *अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी* से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/आरटीआई /2025/835–36 दिनांक 28.8.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.7.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,आयुक्त नगर परिषद, विकास अधिकारी पंचायत समिति, सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, गंगापुर सिटी से है जो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जाना था किन्तु तकनिकी कारण से उक्त प्रार्थना पत्र तत्समय संबंधित विभाग को अन्तरित नही किया है जो अब जरिये पत्रांक 831–34 दिनांक 28.8.2025 से संबंधित विभाग को ऑफ लाईन अंतरित किया जाकर संबंधित को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाकर अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से सूचना प्राप्त करे । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,आयुक्त नगर परिषद, विकास अधिकारी पंचायत समिति, सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, गंगापुर सिटी से होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.8.2025 को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचित किया गया है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से ही अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तत्समय ही अन्तरित किया जाना चाहिऐ था जो नही किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी आरटीआई पोर्टल के प्रति सजग नही है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आरटीआई पोर्टल अपडेट रखा जावे एवं पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना पत्रो का नियत समयावधि मे निस्तारण किया जावे। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से सूचना प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाताहै। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:35:28 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner